रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 1972/आश्विन 8, 1894

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 1972/ASVINA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 24th August 1972

G.S.R. 1162.—In column 4 of the schedule attached to the Hindi version of the Ministry of External Affairs Notification No. 46/PF/72, dated 9th June, 1972, for the scale of pay Rs. 325—15—475—EB—25—575.

Substitute,

Rs. 325—15—475—EB—20—575.

[No. 46/PF/72.]

K. R. SUD, Under Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त 1972

जी० एस० आर० . 1162. :—विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 46/पी एफ/72 दिनांक 9-6-72 के साथ संलग्न परिशिष्ट के कालम 4 में दिखाये, गए वेतनमान रुपये 325-15-475-द० रो०-25-575 के स्थान पर रुपये 325-15-425-द० रो०-20- 575 पढ़ें ।

[सं० 46/पी एफ/72]

के० आर० सूद, अवर सचिव, ।

स्टनोग्राफरों में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने सांझी विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो ।

नोट–किसी वर्ष में सांझी विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों का कोटा, यदि उस वर्ष के दौरान अर्हता प्राप्त उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा ।

3. लेखाकार के पद से संबंधित क्रम संख्या 36 के सम्मुख:—

(i) कालम 6 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर, "100 प्रतिशत" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ii) कालम 7 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर, 'शून्य' प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(iii) कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उन प्रवर श्रेणी लिपिकों में से, जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो ।"

[संख्या ए-12018/4/72-एफ (ए)]

जे० पी० गोयल, अवर सचिव ।

New Delhi, the 30th August 1972

G.S.R. 1206.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constituion, the President hereby makes following rules regulating the method of recruitment to the posts of Engineers, All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(a) These rules may be called the All India Radio (Class I and Class II Engineering Posts) Recruitment Rules, 1972.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number and classification of the posts and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2, 3 and 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.**—The method of recruitment of the posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Government of India.

5. Any person appointed to the post for which a degree in Engineering (or equivalent qualification) is the minimum qualification shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person:—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty-five years.

6. **Disqualifications.**—(1) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts: provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(2) No candidate who is called for the interview for appointment against direct recruitment quota under age concession admissible to Government servants, will be eligible for appointment, if after submitting the application he resigns from Government service either before or after the interview.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Relaxation of standard in certain cases.**—Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for them cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the post, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

9. **Reservation of vacancies for released Emergency Commissioned officers.**—A percentage, as prescribed by the Central Government from time to time, of the permanent vacancies to be filled through the Competitive Examination conducted by the Commission shall be reserved for graduate engineers who are commissioned in the Armed Forces on a temporary basis during an emergency, and are later released subject to the conditions that—

(i) they would have been eligible for appointment had they not joined military service; and

(ii) they are, at the time when they are considered for appointment, after release from military service, physically fit according to the rules. For the time being till such candidates become available for appointment, the reserved permanent vacancies shall be filled on a temporary basis.

10. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Recruitment rules for the posts of Assistant Station Engineer and Assist ant Engineer, All India Radio in the Ministry of Information and Broadcasting

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Assistant Station Engineer.	373	General Central Service Class I (Gazetted).	Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.	Selection	30 years (Relaxable for Government servant).	A degree in Electrical Engineering, Electrical Communication Engineering, Electronics, or M.Sc. degree in Physics with Wireless Communication or Electronics as a special subject from a recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates othersise well qualified).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 Years	60% by direct recruitment through Engineering Services (Electronics) Examination conducted by the Union Public Service Commission. 40% by Promotion. *Note* : (*i*) In case direct recruitment falls short, the remaining vacancies may, in consultation with the Commission, be filled by promotion from amongst the eligible officers for 3 years. (*ii*) In special circumstances some posts may be filled in consultation with the Union Public Service Commission by occasional *ad hoc* direct recruitment otherwise than through the Engineering Services (Electronics) Examination.	*Promotion*: Assistant Engineers All India Radio with 3 years service in the grade.	Class I, Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958,

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant Engineer	248	General Central Service Class-II Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.	Selection	30 years (Relaxable for Government servants).	A degree in Electrical Engineering, Electrical Communication Engineering, Electronics, or M.Sc degree in Physics with Wireles· Communication or Electronics as a special subject from a recognised University or equivalent. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

8	9	10	11	12	13
Age: No / Educational qualifications: Yes.	2 years	Promotion 60% Direct Recruitment 40% through the Engineering Services (Electronics) Examination conducted by the Union Public Service Commission failing which by selection through the Union Public Service Commission.	*Promotion.* Senior Engineering Assistants with 2 years service in the grade, failing which with 5 years service in the grades of Senior Engineering Assistant and Engineering Assistant combined together. *Note*:—The number of persons promoted should bc no occasion exceed 75% of the candidates eligible for promotion and in such a situation the remaining vacancies should be filled by direct recruitment. (*ii*) If in any year the number found suitable for promotion falls short of the promotion quota, the remaining vacancies, instead of being carried over to the next year, would be added to the direct recruitment quota.	Class-II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 20/2/67-B(D).Pt.III.]

R. K. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1972,

जी० एस० आर० 1206.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति सूचना और प्रसारण मंत्रालय में आकाशवाणी के इंजीनियरों के पदों की भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ:—(क) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 इंजीनियरी पद) भर्ती नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा ।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना:—ये नियम इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों की भर्ती पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या इनका वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2, 3 तथा 4 में दिये अनुसार होंगे ।

4. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये अनुसार होंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी ।

5. जिस पद के लिये इंजीनियरी की डिग्री (या समकक्ष अर्हता) न्यूनतम अर्हता हो, उस पद पर नियुक्त व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी भी पद पर प्रशिक्षण की यदि कोई अवधि हो तो उसके समेत न्यूनतम 4 वर्ष के लिये कार्य करने का भागी होगा ।

परन्तु ऐसे व्यक्ति के लिये —

(क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष समाप्त होने के बाद पूर्वोक्त अनुसार कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा

(ख) सामान्यत: 45 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद पूर्वोक्त अनुसार कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा ।

6. अनर्हताएं (1) (क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो ;

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / होगी ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उसपर लागू होने वाले व्यक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण है, तो वह एसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

(2) कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो सरकारी कर्मचारियों के लिये ग्राह्य आयु रियायत के अन्तर्गत सीधी भर्ती के कोटे में नियुक्त हेतु इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है, और वह आवदन-पत्र देने के बाद इंटरव्यु से पहले या बाद में सरकारी सेवा से त्याग-पत्र दे देता है तो वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

7. अपवाद:—इन नियमों की किसी बात का, इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

8. कुछ मामलों में स्तर की छूट:—आयोग द्वारा किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित उम्मीदवारों की, उनके लिये आरक्षित रिक्तियों की उतनी संख्या तक जितनी की सामान्य स्तर के आधार पर नहीं भरा जा सकता, आरक्षित कोटे में कमी पूरी करने के लिये शिथिल स्तर के द्वारा सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा में योग्यता क्रम में उनका रेंक कुछ भी हो बशर्ते कि वे उम्मीदवार पद पर चयन के लिये उपयुक्त हों ।

9. रिलीज किये गये आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण.—आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली स्थायी रिक्तियों की कुछ प्रतिशतता जैसे कि सरकार समय समय पर निर्धारित करे, उन स्नातक इंजीनियरों, जिनको संकटकाल के दौरान अस्थायी आधार पर सशस्त्र सेना में कमीशन मिला हो, और बाद में रिलीज कर दिये गये हों, के लिये निम्नलिखित शर्तों पर आरक्षित होंगी :—

(1) यदि व सैनिक सेवा में प्रवेश न करते तो नियुक्ति के पात्र होते और

(2) सैनिक सेवा से रिलीज होने के बाद जिस समय उनकी नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा हों, उस समय व नियमों के अनुसार शारिरिक रूप से स्वस्थ हों। जब तक इस प्रकार के उम्मीदवार नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो तब तक आरक्षित स्थायी रिक्तियां अस्थायी आधार पर भरी जायेंगी।

10. छूट देने का अधिकार:—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित हो वहां वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघलोक सेवा आयोग के परामश से आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

अनुसूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आकाशवाणी के सहायक केन्द्र इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के पदों के लिये भर्ती नियम।

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मान	प्रवरण पद या अप्रवरण पद
1	2	3	4	5
1. सहायक केन्द्र इंजीनियर	373	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–1 (राजपत्रित)	400–400–450–30–600–35–670–द.रो०–35–950 रुपये	प्रवरण

सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वालो के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
6	7	8	9
30 वर्ष (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रकल कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोनिक्स की डिग्री या वायरलैस कम्मुनिकेशन या इलक्ट्रोनिक्स के विशेष विषय के साथ फिजिक्स मे एम०एस० सी की डिग्री या इसके समकक्ष (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में संघलोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकेगा)	नहीं	2 वर्ष

भर्ती पद्धति–सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने के लिये वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है	किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघलोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
10	11	12	13
60 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं (इलैक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा नोट:– (1) यदि सीधी भर्ती द्वारा अपेक्षित रिक्तियां नहीं भरी जातीं, तो शेष रिक्तियां आयोग के परामर्श से पात्र अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा तीन वर्ष के लिये भरी जा सकती हैं। (2) विशेष परिस्थितियों में कुछ पद संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इंजीनियरी सेवाएं (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के माध्यम से भरने की बजाए आकस्मिक तदर्थ सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकते हैं।	पदोन्नति आकाशवाणी के वे सहायक इंजीनियर जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो।	श्रेणी–1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
2. सहायक इंजीनियर	248	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी–2 राजपत्रित अलिपिकवर्गीय	350–25–500–30–590–द०रो० 30–800–द० रो० 30–830–35–900 रु०	प्रवरण

6	7	8	9
30 वर्ष (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकेगी ।	तथैव	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं हां	2 वर्ष

10	11	12	13
60 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा 40 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली इंजीनियरी सेवाएं (इलेक्ट्रोनिक्स) परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा इसके न हो सकने पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन द्वारा ।	पदोन्नति वे सीनियर इंजीनियरी सहायक जिसकी ग्रेड में 2 वर्ष की सेवा हो, इसके न होने पर सीनियर इंजीनियरी सहायक तथा इंजीनियरी सहायक दोनों के ग्रेडों में मिलाकर 5 वर्ष की सेवा हो । नोट:–पदोन्नति किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी अवसर पर पदोन्नति के लिये पात्र 75 प्रतिशत उम्मीदवारों से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा इस प्रकार की स्थिति में शेष रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जानी चाहिये । (1) यदि किसी वर्ष पदोन्नति के लिये पाई गई उपयुक्त संख्या पदोन्नति के कोटे से कम हो, तो शेष रिक्तियां अगले वर्ष में ले जाने के स्थान पर सीधी भर्ती के कोटे में जोड़ी जाएंगी ।	श्रेणी –2 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित हैं ।

[संख्या 20/2/67–बी (डी)–भाग 3]

आर०के० गुप्त, अवर सचिव ।